संख्या 1367 / उन्तीस(2)08–2(35पे0) / 2008

प्रेषक,

एम0एच0खान
सचिव
उत्तराखण्ड शासन ।

सेवा में,

प्रबन्ध निदेशक,
उत्तराखण्ड पेयजल निगम,
देहरादून।

पेयजल अनुभाग देहरादून दिनांक 21 जुलाई, 2008

विषयः– राज्य सैक्टर की ग्रामीण पेयजल योजनान्तर्गत निर्माणाधीन पेयजल योजनाओं के निर्माण कार्यो हेतु वर्ष 2008–09 में धनावंटन।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक आपके पत्र संख्या 2117 / धनावंटन प्रस्ताव / दिनांक 23.06.08 के सन्दर्भ में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि राज्य सैक्टर ग्रामीण पेयजल कार्यक्रम के अन्तर्गत संलग्न विवरणानुसार निर्माणाधीन पेयजल योजनाओं के कियान्वयन हेतु चालू वित्तीय वर्ष 2008–09 में रू0 1115.25 लाख (रू0 ग्यारह करोड पन्द्रह लाख पच्चीस हजार मात्र) की धनराशि के व्यय हेतु आपके निर्वतन पर रखे जाने की श्री राज्यपाल सहर्ष स्वीकृति प्रदान करते है:–

2– स्वीकृत धनराशि का आहरण प्रबन्ध निदेशक, उत्तराखण्ड पेयजल निगम, देहरादून के हस्ताक्षर जिलाधिकारी, देहरादून के प्रतिहस्ताक्षर युक्त बिल देहरादून कोषागार में प्रस्तुत करके इसी वित्तीय वर्ष में आहरित की जायेगी। आहरण से सम्बन्धित बिल बाउचर संख्या एंव दिनांक की सूचना शासन एंव महालेखाकार को आहरण के तुरन्त बाद उपलब्ध करायी जायेगी तथा यथा समय बी0एम0–08 व बी0एम0–13 पर विवरण भी शासन को उपलब्ध कराया जायेगा।

3– स्वीकृत की जा रही धनराशि का व्यय आवंटन के अनुसार ही किया जायेगा ओर किसी अन्य अनावुमोदित योजना पर व्यवर्तन अपने स्तर से नहीं किया जायेगा।

4– स्वीकृत की जा रही धनराशि का दिनांक 31.012.2008 तक पूर्ण उपयोग कर कार्य की वित्तीय / भौतिक प्रगति का विवरण एवं उपयोग प्रमाण–पत्र (Utilization Certificate) शासन को प्रस्तुत किया जाय। उक्त विवरण प्रस्तुत करने के बाद ही आगामी किस्त अवमुक्त की जायेगी।

5– व्यय करने से पूर्व जिन मामलो में बजट मैनुअल और फाईनेन्शियल हैण्डबुक नियमों तथा अन्य स्थायी आदेशो के अंतर्गत शासकीय अथवा सक्षम प्राधिकारी की स्वीकृति आवश्यक हों, उसमें व्यय करने से पूर्व ऐसी स्वीकृति अवश्य प्राप्त कर ली जाय। निर्माण कार्यो पर व्यय करने से पूर्व आगणनों / पुनरीक्षित आगणनों पर सक्षम प्राधिकारी की टैक्निकल स्वीकृति अवश्य प्राप्त कर ली जाय।

6. योजनाओं / कार्यो पर उतना ही व्यय किया जाय जितना कि स्वीकृत आंगणन धनराशि है। स्वीकृत आंगणन से अधिक व्यय कदापि न किया जाय।

7. कार्य की गुणवत्ता एंव समयबद्धता हेतु सम्बन्धित अधिशासी अभियन्ता पूर्ण रूप से उत्तरदायी होगें।

8– सम्बन्धित योजनाओं / कार्यो हेतु यथावश्यकता सक्षम स्तर नियमानुसार प्राविधिक, वित्तीय एंव प्रशासनिक स्वीकृति अवश्य प्राप्त कर ली जाय।

क्रमश..2..

9— समय–समय पर निर्गत वित्तीय नियमों व मितव्ययता सम्बंधी निर्देशों की अनुपावना की जाय।

10— कराये जाने वाले कार्यों पर वित्त लेखा अनुभाग–2 के शासनादेश सं0–ए–2–87(1)/दस–97–17(4)/275 दिनांक 27.02.97 के अनुसार सैंटेज व्यय किया जायेगा तथा कार्यों की कुल लागत के सापेक्ष पूर्व में व्यय की गयी धनराशि में सैंटेज के रूप में व्यय की गयी धनराशि को समायोजित करते हुए कुल सैंटेज चार्जेज 12.5 प्रतिशत से अधिक अनुमन्य नहीं होगा । इसे कृपया कड़ाई से सुनिश्चित कर लिया जाय ।

11 जी0पी0डब्लू0 फार्म–9 की शर्तो के अनुसार निर्माण इकाईयों को कार्य सम्पादित कराना होगा तथा समय से कार्य को पूर्ण न करने पर 10 प्रतिशत की दर से आगणन की कुल लागत का निर्माण इकाई से दण्ड वसूल किया जायेगा।

12 मुख्य सचिव उत्तराखण्ड शासन के शासनादेश संख्या 2047/XIV–219(2006) दिनांक 30 मई, 2006 द्वारा निर्गत आदेशों के क्रम में कार्य करते समय/कार्य करते समय कढ़ाई से पालन करने का कष्ट करें।

उपरोक्त के अतिरिक्त योजनाओं की स्वीकृति एवं धनावंटन से सम्बन्धित पूर्व शासनादेशों में उल्लिखित समस्त शर्तें यथावत रहेंगी।

13— उपर्युक्त व्यय वालू वित्तीय वर्ष 2008–09 में अनुदान सं0–13 के अंतर्गत लेखाशीर्षक "2215–जलापूर्ति तथा सफाई–01–जलापूर्ति–आयोजनागत –102– ग्रामीण जलापूर्ति कार्यक्रम–03–ग्रामीण पेयजल राज्य सैक्टर – 00 –20– सहायक अनुदान/अंशदान/राजसहायता के नामे" डाला जायेगा ।

24— यह आदेश वित्त विभाग के शासनादेश संख्या 267/XXVII(1)/2008, दिनांक 27.03.08 में दी गई व्यवस्था के अन्तर्गत निर्गत किया जा रहा है।

संलग्न–यथोक्त

भवदीय,

(एम0एच0खान)
सचिव

पृ0सं0 1307/उन्तीस(2)/08–2(35पे0)/2008तददिनांक

प्रतिलिपि–निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषितः–

1. महालेखाकार, उत्तराखण्ड देहरादून ।
2. मण्डलायुक्त गढ़वाल मण्डल/कुमॉयू मण्डल
3. जिलाधिकारी, देहरादून।
4. वरिष्ठ कोषाधिकारी, देहरादून।
5. महाप्रबन्धक, उत्तराखण्ड जल संस्थान गढ़वाल।
6. मुख्य अभियन्ता, उत्तराखण्ड पेयजल निगम गढ़वाल।
7. मुख्य कार्यकारी अधिकारी, राज्य जल एंव स्वच्छता मिशन, उत्तराखण्ड,दे0दून।
8. वित्त अनुभाग–2/वित्त(बजट सैल)/राज्य योजना आयोग उत्तराखण्ड।
9. निजी सचिव, मा0 पेयजल मंत्री को मा0 मंत्री जी के अवलोकनार्थ।
10. स्टाफ ऑफिसर–मुख्य सचिव, उत्तराखण्ड शासन को मुख्य सचिव महोदय के अवलोकनार्थ।
11. निदेशक, सूचना एवं लोक सम्पर्क निदेशालय, देहरादून।
12. निदेशक, एन0आई0सी0 सचिवालय परिसर, देहरादून।
13. गार्ड फाईल।

आज्ञा से,

(टीकम सिंह पंवार)
संयुक्त सचिव

शासनादेश संख्या 1307/ उन्तीस(2)/08–2(35पे0)/2008
दिनांक 21 जुलाई, 2008 का संलग्नक

क0 सं0	जनपद/योजना	लागत	अवमुक्त	स्वीकृत की जा रही धनराशि
	देहरादून			
1	डी0एल0रोड अम्बेडकर नगर कालोनी ओवर हैड टैंक का निर्माण	48.32	31.92	16.40
2	नालापानी ननूरखेडा पुनर्गठन	326.00	210.00	116.00
3	नत्थनपुर आर्डिनेंस फैक्ट्री नलकूप	76.67	40.00	36.67
4	दीपनगर मन्दिर नलकूप	70.30	25.00	45.30
5	दूधली नलकूप	66.04	45.00	21.04
	उत्तरकाशी			
6	जनपद उत्तरकाशी की 30 गुरूत्व योजनाओं का रखरखाव वर्ष 2007–08)	41.50	—	41.50
	देहरादून			
7	पिलियानी खेडा दूधली सिमलास ग्रान्ट पुनर्गठन	228.24	100.00	128.24
8	कटा पत्थर लादी वाला पे0यो0	58.93	35.00	23.93
9	ढकरानी ढालीपुर पे0यो0 फेज–1	87.90	65.00	22.90
10	नथवावाला नलकूप–2	80.93	25.00	55.93
11	कुवावाला नलकूप	66.04	45.00	21.04
12	रायपुर तोक समूह पुनर्गठन	412.40	275.00	137.40
13	बुल्लावाला झबरावाला धर्मचक पुनर्गठन पे0यो0	97.43	35.00	62.43
	पौडी			
14	धूमाकोट तोक समूह पम्पिंग पे0यो0	552.70	360.15	192.55
15	जनपद पौड़ी के अन्तर्गत अनुरक्षणाधीन पम्पिंग पे0यो0 का स्वचालितीकरण	410.82	330.00	80.82
	नैनीताल			
16	ऑवलाकोट कोटाबाग नलकूप	89.74	72.26	17.48
17	कालाढुंगी पे0यो0 जोन–1 पार्ट–1	99.59	86.81	12.78
18	रामनगर धनपुर घासी	87.27	85.58	1.69
19	बैल पडाव पुनर्गठन	59.82	30.65	29.17
20	पाण्डे गॉव	39.95	20.00	19.95
21	बॉसी	45.69	35.00	10.69
22	गल्ला निगलाट	34.64	24.64	10.00
23	रामनगर (ऊट पडाव नलकूप पे0यो0)	21.99	10.65	11.34
	योग :–			1115.25

(रू0 ग्यारह करोड पन्द्रह लाख पच्चीस हजार मात्र)

(टीकम सिंह पवांर)
संयुक्त सचिव